झारखण्ड सरकार,

झारखण्ड कर्मचारी चयन **आयोग**

चायबगान, कालीनगर, नामकोम,राँची–834010.

विवरणिका

विज्ञापन संख्या– 03 / 2018

झारखण्ड राज्य अन्तर्गत काराओं में वाहन चालक की भर्ती हेतु प्रतियोगिता परीक्षा–2018

JHPDCE-2018

1. कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड सरकार के पत्र संख्या– 11/क॰च॰आ॰–02–06/2014 का॰ 5993 (अनु॰) दिनांक 08.08.2018 के साथ संलग्न गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग के पत्रांक– 11/स्था॰ अराज॰–08/2017– 4174 दिनांक 25.07.2018 के द्वारा संसूचित झारखण्ड राज्य अन्तर्गत काराओं में वाहन चालक की रिक्तियों के विरूद्ध नियुक्ति के लिए सुयोग्य उम्मीदवारों के चयन हेतु विहित प्रपत्र में ''झारखण्ड राज्य अन्तर्गत काराओं में वाहन चालक की भर्ती हेतु प्रतियोगिता परीक्षा–2018'' के लिये ऑनलाईन आवेदन आमंत्रित किये जाते हैं। उम्मीदवार अर्हता, शैक्षणिक योग्यता तथा निर्धारित आयु सीमा के अन्तर्गत आवेदन दे सकते हैं। ऑन–लाईन (Online) आवेदन आयोग के वेबसाईट www.jssc.in/ www.jssc.nic.in पर लॉग ईन (login) करके समर्पित किया जा सकता है।

2. **रिक्तियों का विवरण :**

वाहन चालक :– एच॰एम॰भी॰ वाहन चालक (साधारण कोटि)

क्र॰ सं॰	आरक्षण कोटि					कुल रिक्ति के अधीन क्षैतिज आरक्षण				
	अनारक्षित	अ॰ज॰जा॰	अ॰जा॰	पि॰व॰ (अनु॰–II)	अ॰पि॰व॰ (अनु॰–I)	कुल रिक्ति	महिला	दृष्टि निःशक्तता	मूक बाधिर निःशक्तता	चलन निःशक्तता
1.	06	03	01	00	01	11	00	00	00	00

वाहन चालक :– एल॰एम॰भी॰ वाहन चालक (साधारण कोटि)

क्र॰ सं॰	आरक्षण कोटि					कुल रिक्ति के अधीन क्षैतिज आरक्षण				
	अनारक्षित	अ॰ज॰जा॰	अ॰जा॰	पि॰व॰ (अनु॰–II)	अ॰पि॰व॰ (अनु॰–I)	कुल रिक्ति	महिला	दृष्टि निःशक्तता	मूक बाधिर निःशक्तता	चलन निःशक्तता
1.	37	19	07	04	06	73	04	01	01	01

टिप्पणीः (i) इसके अतिरिक्त अनुसूचित जन जाति के लिए विज्ञापित पदों की संख्या में 2 (दो) प्रतिशत पद आदिम जन जाति के अभ्यर्थियों के लिए क्षैतिज आरक्षण के तहत अनुमान्य होगा। आदिम जन जाति के योग्य उम्मीदवारों के उपलब्ध नहीं होने की स्थिति में उक्त पद अनुसूचित जन जाति के अभ्यर्थियों द्वारा भरे जाएगें। आदिम जनजाति के आरक्षित पद के विरूद्ध दावा करने वाले अभ्यर्थियों को कंडिका 7(II) (i) द्वारा निर्धारित प्रपत्र में प्राप्त प्रमाण पत्र की संख्या एवं तिथि प्रविष्ट करना होगा।

3. **पात्रताः–**

क) उपर्युक्त कंडिका–2 में वर्णित पदों पर झारखण्ड राज्य के स्थानीय निवासी अभ्यर्थी ही आवेदन देने के पात्र हैं। अतः विवरणिका के परिशिष्ट–III पर दिये गये प्रपत्र में आवेदन पत्र समर्पित करने की तिथि तक आरक्षित एवं अनारक्षित दोंनों कोटि के अभ्यर्थियों को स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र धारित करना अनिवार्य है।

ख) परीक्षा के लिए आवेदन देने के पूर्व अभ्यर्थी यह पूर्णतः सुनिश्चित हो लें कि वे विज्ञापित पद की शैक्षणिक योग्यता, न्यूनतम/अधिकतम आयु सीमा, आरक्षण की कोटि, स्थानीय निवासी, इत्यादि से सम्बन्धी पात्रता के विषय पर प्रकाशित सभी शर्त्तों को पूरा करते हैं।

ग) **परीक्षा में बैठने की अनुमति पूर्णतः औपबन्धिक होगी। परीक्षा के लिए प्रवेश पत्र निर्गत होना प्रमाणित नही करता है कि अभ्यर्थी विज्ञापित पद पर नियुक्ति के लिए चयन हेतु निर्धारित पात्रता पूरी करते हैं क्योंकि आयोग मुख्य परीक्षा के उपरान्त संक्षिप्त सूची (Shortlisted) के अभ्यर्थियों की शारीरिक एवं चिकित्सीय जाँच के उपरान्त उनके पात्रता से सम्बन्धित प्रमाण पत्रों की प्रारम्भिक जाँच कर सकता है। निर्धारित शारीरिक जाँच/चिकित्सीय जाँच/ प्रमाण पत्रों की जाँच कार्यक्रम में अनुपस्थित रहने पर सम्बन्धित अभ्यर्थी की अभ्यर्थिता रद्द कर दी जायेगी। प्रमाण पत्रों के जाँच के क्रम में आवेदन में भरे गये आरक्षण दावे/पात्रता सम्बन्धी प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं करने पर यथा स्थिति आरक्षण का लाभ अनुमान्य नहीं होगा/अभ्यर्थिता रद्द कर दी जायेगी।**

4. कंडिका–2 में वर्णित पदों का वेतनमान एवं न्यूनतम शैक्षणिक तथा तकनीकी योग्यता निम्नवत् हैः–

क्रम सं॰	पदनाम	वेतनमान	न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता एवं अन्य अहर्त्ता
1	**2**	**3**	**4**
1.	**एच॰एम॰भी॰ वाहन चालक (साधारण कोटि)**	अपु॰ पी॰बी॰(I)– 5200–20200, ग्रेड पे– 1900	i) 10वीं (मैट्रिक) कक्षा उतीर्णता। ii) एच॰एम॰भी॰ वाहन चालक के लिए एच॰एम॰भी॰ का वैध लाइसेन्स (अनुज्ञप्ति) प्राप्त रहना आवश्यक होगा। iii) एल॰एम॰भी॰ वाहन चालक के लिए एल॰एम॰भी॰ का वैध लाइसेन्स (अनुज्ञप्ति) प्राप्त रहना आवश्यक होगा। iv) यातायात विनियमन की उन्हें अच्छी जानकारी रहना आवश्यक होगा। v) वाहन की उन्हें सामान्य मरम्मति की जानकारी रहना आवश्यक होगा। vi) वाहन चालन हेतु निर्धारित मापदण्ड के अनुसार उनका स्वस्थ रहना आवश्यक होगा।
2.	**एल॰एम॰भी॰ वाहन चालक (साधारण कोटि)**		

नोटः–शैक्षणिक योग्यता के निर्धारण के लिए Online आवेदन देने की अंतिम तिथि को आधार तिथि (Reference Date) माना जायेगा। यदि कोई अभ्यर्थी इस तिथि तक निर्धारित शैक्षणिक योग्यता नहीं धारित करते हैं तो वे अयोग्य समझे जायेंगे।

5. **आयु सीमा** : उपर्युक्त कंडिका–4 में वर्णित पदों के संदर्भ में न्यूनतम एवं अधिकतम उम्र की गणना दिनांक 01.08.2017 के आधार पर की जायेगी।

5.1 **न्यूनतम उम्र** :– कंडिका–4 में अंकित सभी पदों के लिए न्यूनतम उम्र सीमा 18 वर्ष है।

5.2 **अधिकतम उम्र** :– *(कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग के संकल्प संख्या 609 दिनांक 25.01.2016 द्वारा यथा निर्धारित)*

(क)	अनारक्षित	–	35 वर्ष।
(ख)	अत्यन्त पिछड़ा वर्ग– (अनुसूची– 1) एवं पिछड़ा वर्ग अनुसूची–2 (पुरूष)	–	37 वर्ष।

(ग) अनुसूचित जनजाति/अनुसूचित जाति (पुरूष एवं महिला) – 40 वर्ष।

(घ) झारखण्ड राज्य की स्थानीय निवासी महिला (अनारक्षित–झारखण्ड की स्थानीय निवासी), अत्यन्त पिछड़ा वर्ग (अनुसूची– 1) एवं पिछड़ा वर्ग अनुसूची–2 – 38 वर्ष।

(i) सभी कोटि के निःशक्त अभ्यर्थियों को अधिकतम आयु सीमा में पाँच वर्षों की अतिरिक्त छूट दी जायेगी। निःशक्तता सम्बन्धी प्रमाण पत्र राज्य सरकार द्वारा गठित सक्षम चिकित्सा पर्षद से विहित प्रपत्र में निर्गत होना चाहिए। सभी श्रेणियों में निःशक्ततों का दावा तभी मान्य होगा जब निःशक्तता कम से कम 40% (चालीस प्रतिशत) अथवा उससे अधिक हो।

(ii) **भूतपूर्व सैनिकों को अधिकतम आयु सीमा में पाँच वर्षों की अतिरिक्त छूट दी जायेगी। भूतपूर्व सैनिक होने से संबंधित प्रमाण पत्र यथा समय आयोग द्वारा माँग की जायेगी जिसे प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।**

6. निःशक्त अभ्यर्थियों के लिए सुविधा :

निःशक्त श्रेणी के उम्मीदवारों को परीक्षा में उत्तर देने के लिए 20 मिनट प्रति घंटा की दर से अतिरिक्त समय दिया जायेगा। इस श्रेणी के उम्मीदवारों को उनके अनुरोध पर स्क्राईब की सुविधा निम्न शर्तों के अधीन दी जायेगी :–

(i) 40% (चालीस) प्रतिशत अथवा इससे अधिक निःशक्तता वाले अभ्यर्थियों को श्रुतलेखक/स्क्राइब की सुविधा देय है।

(ii) वैसे निःशक्त अभ्यर्थियों को ही श्रुतलेखक/स्क्राइब की सुविधा मिलेगी जिनके प्रवेश पत्र (Admit Card) में Category के समक्ष आरक्षण वर्ग के पश्चात् PH मुद्रित हो।

(iii) निःशक्त अभ्यर्थियों को श्रुतलेखक/स्क्राइब की व्यवस्था स्वयं करनी होगी।

(iv) निःशक्त अभ्यर्थी प्रवेश पत्र (Admit Card) में निर्धारित परीक्षा केन्द्र के केन्द्राधीक्षक को श्रुतलेखक/स्क्राइब की सुविधा प्रदान करने के लिए अपना आवेदन पत्र परीक्षा की तिथि से तीन दिनों पूर्व स्वयं व्यवस्था किए गए श्रुतलेखक/स्क्राइब की **विहित प्रपत्र (परिशिष्ट–III)** में विवरणी तथा निःशक्तता प्रमाण की स्व–आभिप्रमाणित प्रति के साथ उपलब्ध करायेंगे। तीन दिनों पूर्व आवेदन नहीं देने की स्थिति में श्रुतलेखक/स्क्राइब की सुविधा केन्द्राधीक्षक द्वारा उपलब्ध नहीं करायी जायगी, जिसके लिए सम्बन्धित अभ्यर्थी ही उतरदायी होंगे।

(v) परीक्षा की तिथि को श्रुतलेखक/स्क्राइब के साथ अभ्यर्थी परीक्षा के $1\frac{1}{2}$ घंटा पूर्व परीक्षा केन्द्र पर निश्चित रूप से उपस्थित होंगे। जो अभ्यर्थी अपने साथ श्रुतलेखक/स्क्राइब नहीं लायेंगे, उन्हें यह सुविधा नहीं मिलेगी और इसके लिए वे स्वयं उत्तरदायी होंगे।

(vi) केन्द्राधीक्षक द्वारा निःशक्त अभ्यर्थियों को सभी पालियों की परीक्षा में प्रति घंटा 20 मिनट की दर से अतिरिक्त समय दिया जायेगा।

7. आरक्षण :

(I) आवेदन में नियत प्रविष्टि के अधीन इंगित आरक्षण का दावा नहीं करने पर आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। आरक्षण का दावा करने पर यह माना जाएगा कि अभ्यर्थी द्वारा दावा किये गए आरक्षण कोटि का सक्षम स्तर से निर्गत प्रमाण पत्र धारित किया जाता है।

(II) विज्ञापन प्रकाशन की तिथि तक झारखण्ड सरकार द्वारा लागू आरक्षण सम्बन्धी सभी नियम प्रभावी होंगे। आरक्षण का दावा करने वाले झारखण्ड के स्थानीय निवासी उम्मीदवार को निम्न प्रमाण–पत्र आयोग द्वारा प्रमाण–पत्रों की जाँच के अवसर पर समर्पित करना अनिवार्य होगाः–

(i) जाति प्रमाण पत्र– जिला/अनुमंडल के उपायुक्त/अनुमण्डल पदाधिकारी से विहित–प्रपत्र {अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लिए **परिशिष्ट–I पर अंकित प्रपत्र** तथा अत्यंत पिछड़ा वर्ग (अनुसूची–1 एवं 2) के लिए **परिशिष्ट–II पर अंकित प्रपत्र**} में अद्यतन निर्गत जाति प्रमाण–पत्र।

(ii) अत्यंत पिछड़ा वर्ग अनुसूची–1 एवं पिछड़ा वर्ग अनुसूची–2 के लिए दिनांक 31.03.2015 के पश्चात् विहित–प्रपत्र **(परिशिष्ट–II पर अंकित प्रपत्र)** में निर्गत जाति प्रमाण पत्र मान्य होगा।

(iii) आरक्षण का दावा करने वाले अभ्यर्थियों को ऑन लाईन **आवेदन पत्र में प्रमाण पत्र की संख्या, इसके निर्गम की तिथि तथा उस प्रमाण पत्र को निर्गत करने वाले प्राधिकार का पद नाम अनिवार्य रूप से अंकित करना होगा। इन प्रमाण पत्रों की जाँच तद्हेतु निर्धारित कार्यक्रम में आयोग द्वारा की जाएगी। इस अवसर पर आवेदन पत्र में भरे गये प्रमाण पत्रों को अनिवार्य रूप से जाँच हेतु प्रस्तुत करना होगा।**

(iv) दिव्यांग कोटि (दृष्टिदोष/मुक वधिर/चलन निःशक्तता) के तहत क्षैतिज आरक्षण का दावा करने वाले अभ्यर्थियों को 40 प्रतिशत अथवा उससे अधिक दिव्यांगता प्रमाण पत्र की संख्या एवं उसके निर्गम की तिथि ऑन लाईन आवेदन पत्र में अंकित करनी होगी तथा प्रमाण पत्रों के जाँच के समय उक्त प्रमाण पत्र जाँच हेतु आयोग को उपलब्ध कराना होगा।

(v) सभी प्रमाण पत्रों की संख्या एवं निर्गत तिथि आवेदन में अंकित करना अनिवार्य है।

सभी अभ्यर्थियों के लिए स्थानीय निवासी सम्बन्धी प्रमाण पत्र अनिवार्य है। इसकी संख्या ऑन लाईन आवेदन पत्र में प्रविष्ट किये बिना आवेदन की प्रक्रिया पूरी नहीं होगी। स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र जाति प्रमाण पत्र का प्रपत्र परिशिष्ट के रूप में विवरणिका में संलग्न है। आवेदक उपर्युक्त प्रपत्रों में सक्षम स्तर से प्रमाण पत्र प्राप्त करने के उपरान्त ही ऑन लाईन आवेदन पत्र भरना सुनिश्चित करे तथा ऑन लाईन आवेदन प्रपत्र में यथा स्थान अपने जाति प्रमाण पत्र, स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र की संख्या एवं निर्गम तिथि दर्ज करें। उक्त प्रमाण पत्रों की मांग आयोग आवश्यकतानुसार कभी भी कर सकता है।

नोट:– सक्षम स्तर से भिन्न स्तर एवं विवरणिका के परिशिष्ट–I, परिशिष्ट–II एवं परिशिष्ट–III पर अंकित प्रपत्र से भिन्न प्रपत्र में निर्गत जाति प्रमाण पत्र/ स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र मान्य नहीं होगा तथा ऐसे प्रमाण पत्रों के आधार पर भरे गये आवेदन पत्र नियुक्ति प्रक्रिया के किसी भी स्तर पर रद्द किये जा सकते है, जिसके लिए संबंधित आवेदक स्वयं उतरदायी होगे।

(iv) स्क्राईब हेतु आवेदन पत्र प्रपत्र परिशिष्ट–IV पर उपलब्ध है।

8. Online आवेदन पत्र को भरना एवं समर्पित (Submit) करना : ऑन–लाईन आवेदन को भरने के लिए दिए गये दिशा निर्देश का अक्षरशः पालन करें। आवेदन पत्र में दी गई सूचनाओं से पूर्ण संतुष्ट होने के पश्चात ही आवेदन पत्र को जमा (Submit) करें। आवेदन पत्र भरने के लिए आयोग के वेवसाईट www.jssc.in पर जाएँ एवं Online Application for JHPDCE-2018 पर Click करें तथा आवेदन पत्र भरें। आवेदकों को सूचित किया जाता है कि आवेदन Submit करने के पूर्व भरे गये आवेदन को ठीक से देख लें। यदि कोई त्रुटि है तो उसे सुधार कर ही आवेदन Submit करें। यद्यपि दिनांक 25.11.2018 से दिनांक 27.11.2018 तक उक्त लिंक ऑन लाईन आवेदन पत्र में की गई किसी भी अशुद्ध प्रवष्टि को संशोधित करने के लिए पुनः खोली जायेगी जिसके माध्यम से वैध अभ्यर्थी ऑन लाईन आवेदन पत्र की अशुद्धियाँ संशोधित कर सकेंगे। छूट सहित परीक्षा शुल्क भुगतान करने की स्थिति में शुद्धिकरण का दावा परीक्षा शुल्क भुगतान की राशि तक सीमित होगा। इस तिथि के उपरान्त परीक्षाफल को प्रभावित करने वाली किसी भी प्रविष्टि यथा जन्म तिथि, जाति, निःशक्त जन प्रमाण पत्र, स्थानीयता प्रमाण पत्र इत्यादि में सुधार का कोई भी दावा मान्य नहीं होगा और आवेदन पत्र में भरे गये दावे के आधार पर ही आवेदक के सन्दर्भ में परीक्षा प्रक्रिया पूरी होगी। ऑनलाईन आवेदन में अभ्यर्थियों के द्वारा जिन प्रमाण पत्रों की संख्या एवं तिथि का उल्लेख किया जाएगा उन प्रमाण पत्रों की मूल प्रति जाँच कार्यक्रम में अनिवार्य रूप से जाँच हेतु प्रस्तुत करना होगा अन्यथा अभ्यर्थिता रद्द समझी जाएगी। अतः अभ्यर्थियों को परामर्श दिया जाता है कि परीक्षाफल को प्रभावित करने वाले उसी दावे की प्रवृष्टि आवेदन पत्र में करें जिसके समर्थन में उनके पास सक्षम स्तर से निर्गत प्रमाण पत्र हो।

9. परीक्षा का स्वरूप

9.1 परीक्षा का स्वरूप एवं पाठ्यक्रम :– परीक्षा निम्नलिखित तीन चरणों में ली जायेगीः–

(क) लिखित परीक्षा
(ख) चिकित्सीय जाँच परीक्षा
(ग) वाहन चालन जाँच परीक्षा

9.2 क) सर्वप्रथम अभ्यर्थियों की लिखित परीक्षा ली जायेगी, जिसमें सफल होना अनिवार्य होगा।

ख) लिखित परीक्षा के आधार पर मेधाक्रमानुसार आरक्षण कोटिवार रिक्तियों की संख्या के ढ़ाई गुणा अभ्यर्थियों का चयन चिकित्सीय जाँच परीक्षा एवं वाहन चालन जाँच परीक्षा के लिए किया जायेगा तथा इन अभ्यर्थियों की सूची कारा महानिरीक्षक को उपर्युक्त जाँच परीक्षाएँ आयोजित करने के लिए भेजी जायेगी।

ग) तदुपरान्त कारा महानिरीक्षक, झारखण्ड, राँची द्वारा गठित चयन पर्षद के माध्यम से इन अभ्यर्थियों की चिकित्सीय जाँच परीक्षा की जायेगी। यह परीक्षा अर्हक (Qualifying) होगी, जिसमें कोई अंक देय नहीं होगा।

घ) चयन पर्षद द्वारा ही लिखित एवं चिकित्सीय जाँच परीक्षा में योग्य पाये गये अभ्यर्थियों के वाहन चालन की जाँच परीक्षा ली जायेगी। यह परीक्षा भी अर्हक (Qualifying) होगी, जिसमें कोई अंक देय नहीं होगा।

ङ) चिकित्सीय जाँच परीक्षा तथा वाहन चाहन जाँच परीक्षा में योग्य एवं अयोग्य अभ्यर्थियों की सूची आयोग को चयन पर्षद द्वारा उपलब्ध कराई जायेगी।

ड़) वाहन चालक (HMV/LMV) के पद पर नियुक्ति हेतु गठित मेधा सूची में स्थान पाने के लिए अभ्यर्थियों को लिखित परीक्षा में आरक्षण कोटिवार निर्धारित न्यूनतम अहर्तांक (यथा विवरणिका की कंडिका 9.5) प्राप्त करना, चिकित्सीय जाँच परीक्षा तथा वाहन चालन जाँच परीक्षा में उतीर्ण होना अनिवार्य होगा।

च) आयोग द्वारा लिखित परीक्षा के आधार पर चिकित्सीय जाँच परीक्षा तथा वाहन चालन जाँच परीक्षा में योग्य पाये गये एच॰एम॰भी॰ वाहन चालक (साधारण कोटि) तथा एल॰एम॰भी॰ वाहन चालक (साधारण कोटि) अभ्यर्थियों की मेधासूची अलग–अलग गठित की जायेगी तथा उनके प्रमाण पत्रों का सत्यापन करते हुए परीक्षाफल प्रकाशित किया जायेगा। इस क्रम में पद रिक्त रह जाने की स्थिति में आयोग पुनः अपेक्षित संख्या में लिखित परीक्षा के मेधाक्रम में नीचे के अभ्यर्थियों की सूची चिकित्सीय जाँच परीक्षा/वाहन चालन जाँच परीक्षा के आयोजन हेतु नियुक्ति पर्षद को उपलब्ध करायेगा। मेधाक्रम में नीचे के अभ्यर्थियों के चयन के क्रम में कंडिका 9.5 में प्रावधानित न्यूनतम अर्हतांक का अनुपालन किया जायेगा।

9.3 लिखित परीक्षा :– लिखित परीक्षा में एक पत्र होगा, जिसकी अवधि दो घंटे एवं 100 अंक की होगी। प्रत्येक प्रश्न एक अंक का होगा तथा सही उत्तर के लिए एक अंक प्रदान किया जायेगा एवं प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 0.33 (शून्य दसमलव तीन तीन) अंक की कटौती की जाएगी। सभी प्रश्न वस्तुनिष्ठ एवं बहुविकल्पीय उत्तर आधारित होंगे।

9.4 लिखित परीक्षा में निम्नलिखित उपखण्डों से सम्बन्धित प्रश्न रहेंगे :–

क) यातायात विनियमन की जानकारी – 70 प्रश्न

ख) वाहन की सामान्य मरम्मति – 30 प्रश्न

9.5 लिखित परीक्षा में न्यूनतम अर्हतांक नीचे अंकित है। इस अंक से कम अंक पाने वाले अभ्यर्थियों को मेधा–सूची में शामिल नहीं किया जायेगा:–

(I) अनारक्षित – 40 (चालीस) प्रतिशत

(II) अनुसूचित जनजाति/अनुसूचित जाति – 32 (बत्तीस) प्रतिशत

(III) अत्यन्त पिछड़ा वर्ग– (अनुसूची–1) – 34 (चौतीस) प्रतिशत

(IV) पिछड़ा वर्ग– (अनुसूची–2) – 36.5 (छत्तीस दसमलव पाँच) प्रतिशत

(V) झारखण्ड राज्य की स्थानीय महिला – 32 (बत्तीस) प्रतिशत

9.6 चिकित्सीय जाँच परीक्षा के मानक :– चिकित्सीय जाँच परीक्षा के मानक वही होंगे जो यथा स्थिति LMV/HMV लाईसेंस जारी करने के लिए तत्सम्बन्धी अधिनियमों/नियमों द्वारा निर्धारित हैं।

9.7 वाहन चालन जाँच परीक्षा :– वाहन चालन जाँच परीक्षा के मानक वही होंगे जो यथा स्थिति LMV/HMV लाईसेंस जारी करने के लिए तत्सम्बन्धी अधिनियमों/नियमों द्वारा निर्धारित हैं।

9.8 चिकित्सीय जाँच परीक्षा तथा वाहन चालन जाँच परीक्षा अर्हक (Qualifing) हैं जिसमें अनुतीर्ण अभ्यर्थी नियुक्ति हेतु अयोग्य घोषित कर दिये जायेंगे।

10. मुख्य परीक्षा के आधार पर मेधा सूची का निर्माण :

(i) लिखित परीक्षा के प्राप्तांक के आधार पर यथा विवरणिका की कंडिका 9.5 में वर्णित कोटिवार न्यूनतम अर्हत्तांक प्राप्त तथा चिकित्सीय जाँच परीक्षा एवं वाहन चालन जाँच परीक्षा उतीर्ण अभ्यर्थियों की मेधासूची गठित होगी।

(ii) मेधा–सूची में एक से अधिक उम्मीदवारों के प्राप्तांक समान (Equal Marks) रहने पर मेधा का निर्धारण उम्मीदवारों की जन्म तिथि के आधार पर किया जायेगा तथा अभ्यर्थी, जिनकी उम्र ज्यादा होगी, उन्हे अपेक्षाकृत ऊपर स्थान मिलेगा। यदि एक से अधिक उम्मीदवारों के प्राप्तांक और जन्म तिथि समान पायी जाती है, तो ऐसी स्थिति में उनके नाम के अंग्रेजी वर्त्तनी (Spelling) के वर्णक्रम के अनुसार मेधा का निर्धारण किया जायेगा और इसके निर्धारण के लिये आवेदन में अंकित अंग्रेजी में लिखे गये नाम को आधार माना जायेगा।

(iii) मेधा के आधार पर अनारक्षित पद के लिये तैयार मेधा सूची में समान मापदंड पर आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी के आने की स्थिति में उक्त अभ्यर्थी की गणना अनारक्षित वर्ग के अनुमान्य पदों के विरूद्ध की जायेगी और उनके नाम के सामने उनका आरक्षण वर्ग भी वही होगा। इस सम्बन्ध में राज्य सरकार से प्राप्त अद्यतन निर्देशों का पालन किया जायेगा।

(iv) उपर्युक्त उप कंडिका (ii) के आधार पर मेधा–सूची प्रारूप गठित करने के पश्चात् यथा समय अपनी सुविधा के अनुसार आयोग के द्वारा कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग के सहयोग से विज्ञापित पदों पर नियुक्ति के लिये चयन हेतु निर्धारित पात्रता/अर्हता संबंधी प्रमाण पत्रों की जांच करायी जायेगी।

प्रमाण पत्रों की जांच के क्रम में यदि किसी कोटि के उम्मीदवार ***अनुपस्थित हो जाते हैं अथवा उनके*** आवेदन पत्र में अंकित दावों का सत्यापन नहीं हो पाता है और उनकी उम्मीदवारी रद्द हो जाती है, तो ऐसी स्थिति में सम्बन्धित कोटि में रिक्त पदों की उपलब्धता के आलोक में मेधा सूची से क्रम के अनुसार उम्मीदवारों को प्रमाण–पत्रों की जाँच के लिए आयोग आमंत्रित कर सकता है।

11. परीक्षा शुल्क :

परीक्षा शुल्क रू. 800/– (रूपये आठ सौ) है।

परीक्षा शुल्क में छूटः– झारखण्ड राज्य के अनुसूचित जनजाति/अनुसूचित जाति के अभ्यर्थियों के लिये परीक्षा शुल्क रू. 200/– (रूपये दो सौ) है। परीक्षा शुल्क भुगतान किये बिना आवेदन पत्र स्वीकार नहीं होंगे और वे रद्द किये जा सकेगें। परीक्षा शुल्क अप्रतिदेय (Non Refundable) होगा। परीक्षा शुल्क के अतिरिक्त अभ्यर्थियों को बैंक चार्ज के रूप में अपेक्षित राशि का भुगतान भी करना होगा।

12. ऑन–लाईन (Online) आवेदन को भरने के लिए दिशा निर्देशः

(i) **आवेदन पत्र को भरने के पूर्व अभ्यर्थी विज्ञापन एवं विवरणिका को डाउनलोड कर लें तथा विवरणिका की शर्त्तों के अनुसार आवेदन पत्र में सूचना अंकित करें।**

(क) **विवरणिका को ध्यानपूर्वक पढ़कर आवेदन भरने के पूर्व यह सुनिश्चित कर लें कि जो प्रमाण पत्र आवेदन हेतु आवश्यक हैं वह उनके पास हैं।**

(ख) आवेदन भरने के पूर्व अपने फोटो एवं हस्ताक्षर की Scanned प्रति भी अपने साथ रखें।

(ग) सभी प्रमाण पत्रों को ध्यानपूर्वक देख लें कि इन सभी में उनका नाम, पिता का नाम एवं अन्य विवरण सही है अन्यथा आवेदन भरने के पूर्व उसे ठीक करा लें।

(ii) आवेदक अपने नाम की वर्त्तनी (spelling) वही लिखेंगे जो मैट्रिक/10वीं के सर्टिफिकेट/अंक पत्र में अंकित है। सर्टिफिकेट/अंक पत्र में अंकित नाम और आवेदन पत्र में भरे गये नाम की वर्त्तनी (Spelling) में अंतर नहीं होना चाहिये। आवेदन में नाम से संबंधित सूचना में नाम के आगे श्री/मिस्टर/श्रीमान् आदि शब्दों का व्यवहार नहीं किया जाय।

(iii) आवेदक अपने आवेदन पत्र के यथा निर्धारित स्थान पर वही जन्म तिथि यथा– तिथि, महीना और वर्ष दर्ज करेंगे जो उनके मैट्रिक सर्टिफिकेट/अंक पत्र में अंकित है।

13. आवेदन पत्र को भेजना :–

i) आवेदन पत्र भरने के लिए सर्वप्रथम आयोग के वेवसाईट www.jssc.in या www.jssc.nic.in पर जाएँ एवं Online Application for JHPDCE-2018 को Click करें तत्पश्चात अपना पंजीकरण (Registration) करें।

ii) पंजीकरण प्रक्रिया पूर्ण होते ही आपके मोबाईल फोन एवं ईमेल पर पंजीकरण संख्या एवं पासवर्ड आ जायेगा। पंजीकरण संख्या एवं पासवर्ड को नोटकर सुरक्षित रखें क्योंकि भविष्य में लॉग–इन करने के लिए इन दोनो की आवश्यकता होगी।

iii) पंजीकरण संख्या एवं पासवर्ड प्राप्त होते ही पुनः लॉग–इन करें एवं आप अपने बारे में विस्तृत सूचना अंकित करें। आवेदन के प्रत्येक पृष्ठ को Save and Continue करने के पश्चात् अगले पृष्ठ की सूचना भरा जाना आवश्यक है। जिस तिथि को आप यह कार्य पूरा कर लेते हैं उसकी अगली तिथि को 12.00 बजे मध्याह्न के पश्चात् पुनः लॉग–इन करें एवं परीक्षा शुल्क का भुगतान कर दें।

iv) परीक्षा शुल्क भुगतान करने के दो दिनों के बाद पुनः लॉगईन कर परीक्षा शुल्क भुगतान का विवरण तथा अपना स्कैन किया हुआ (Scanned) फोटो एवं हस्ताक्षर अपलोड कर दें। यदि आप अपने अपलोड किये गये फोटो एवं हस्ताक्षर से संतुष्ट हैं तो आवेदन पत्र को समर्पित (Submit) कर आवेदन पत्र का प्रिंटआउट ले लें तथा इसे भविष्य के लिए अपने पास सुरक्षित रखें।

v) दिनांक 25.11.2018 से दिनांक 27.11.2018 तक उक्त लिंक ऑन लाईन आवेदन पत्र में की गई किसी भी अशुद्ध प्रविष्टि को संशोधित करने के लिए पुनः खोली जायेगी जिसके माध्यम से वैध अभ्यर्थी ऑन लाईन आवेदन पत्र की अशुद्धियाँ संशोधित कर सकेंगे। छूट सहित परीक्षा शुल्क भुगतान करने की स्थिति में शुद्धिकरण का दावा परीक्षा शुल्क भुगतान की राशि तक सीमित होगा। इस तिथि के उपरान्त परीक्षाफल को प्रभावित करने वाली किसी भी प्रविष्टि यथा जन्म तिथि, जाति, निःशक्त जन प्रमाण पत्र, स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र, चयनित विषय इत्यादि में सुधार का कोई भी दावा मान्य नहीं होगा और भरे गये आवेदन के आधार पर ही आवेदक के सन्दर्भ में परीक्षा प्रक्रिया पूरी होगी। ऑनलाईन आवेदन में अभ्यर्थियों के द्वारा जिन प्रमाण पत्रों की संख्या एवं तिथि का उल्लेख किया जाएगा उन प्रमाण पत्रों की मूल प्रति **सत्यापन** कार्यक्रम में अनिवार्य रूप से **सत्यापन** हेतु प्रस्तुत करना होगा अन्यथा आरक्षण का लाभ देय नहीं होगा /अभ्यर्थिता रद्द समझी जाएगी।

vi) आवेदन पत्र समर्पित करने के पूर्व यह अवश्य देख लें कि दी गई जानकारी सत्य है अन्यथा गलत घोषणा पत्र देने हेतु अभ्यर्थिता रद्द करने एवं अन्य कार्रवाई करने पर आयोग निर्णय लेगा।

vii) ऑनलाईन आवेदन में अंकित सभी प्रमाण पत्रों के मूल प्रति की जाँच प्रमाण पत्र जाँच कार्यक्रम में की जायेगी। इस अवसर पर सभी प्रमाण पत्रों के साथ अभ्यर्थी की उपस्थिति अनिवार्य होगी। इसका अनुपालन नहीं होने की स्थिति में आवेदन की अभ्यर्थिता रद्द समझी जायेगी। ऑनलाईन आवेदन में अंकित जाति प्रमाण पत्र/ स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र जाँच के समय प्रस्तुत नहीं करने पर आरक्षण/ क्षैतिज आरक्षण का लाभ देय नहीं होगा।

14. आवेदन प्रक्रिया पूर्ण करने की विभिन्न तिथियाँ :– ऑन लाईन आवेदन पत्र के विभिन्न चरणों को पूर्ण करने की तिथियाँ निम्नवत् हैं:–

क) रजिस्ट्रेशन करने तथा प्रारम्भिक दर्ज करने हेतु दिनांक 15.10.2018 के 11.00 बजे पूर्वाहन् से दिनांक 16.11.2018 की मध्य रात्रि तक।

ख) परीक्षा शुल्क भुगतान करने के लिए दिनांक 20.11.2018 की मध्य रात्रि तक।

ग) फोटा एवं हस्ताक्षर अपलोड कर आवेदन पत्र का प्रिंटआउट लेने के लिए दिनांक 23. 11.2018 की मध्य रात्रि तक।

घ) दिनांक 25.11.2018 से दिनांक 27.11.2018 तक उक्त लिंक ऑन लाईन आवेदन पत्र में की गई किसी भी अशुद्ध प्रविष्टि को संशोधित करने के लिए पुनः खोली जायेगी जिसके माध्यम से वैध अभ्यर्थी ऑन लाईन आवेदन पत्र की अशुद्धियाँ संशोधित कर सकेंगे। छूट सहित परीक्षा शुल्क भुगतान करने की स्थिति में शुद्धिकरण का दावा परीक्षा शुल्क भुगतान की राशि तक सीमित होगा।

15. परीक्षा शुक्ल भुगतान करने की प्रक्रियाः–

परीक्षा शुल्क जमा करने के लिए www.onlinesbi.com पर जाकर State Bank Collect Click करें। एक नया पेज खुल जायेगा जिसमें Term & Condition को टिक (√) कर Proceed बटन दबाकर आगे बढ़ें। एक नया पेज खुल जायेगा जिसमें State of Corporate/Institution के सामने Jharkhand Select करें तथा Type of Corporate/Institution के सामने Govt. Department Select करें तथा Go बटन दबा कर अगला पेज खोलें जिसमें Govt. Department Name के विरुद्ध Jharkhand Staff Selection Commission Select कर Submit बटन दबा दें। इसके बाद Select Payment category के सामने JHPCCE-2018 Select करें तथा अपना Registration Number डालकर अपना परीक्षा शुल्क का भुगतान करें।

16. नियुक्ति :

(i) परीक्षा में सफलता सेवा पदों पर नियुक्ति के लिये कोई अधिकार प्रदत्त नहीं करेगा, जब तक झारखण्ड सरकार का, ऐसी जांच के पश्चात्, जो आवश्यक समझी जाय, समाधान नहीं हो जाता है कि अभ्यर्थी लोक सेवा में नियुक्ति के लिये अपने चरित्र और पूर्व वृत्त के सम्बन्ध में सभी प्रकार से उपयुक्त है।

(ii) सेवा में नियुक्तियाँ समय–समय पर कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड सरकार द्वारा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अत्यन्त पिछड़ा वर्ग (अनुसूची–1) एवं पिछड़ा वर्ग (अनुसूची–2) के लिये सेवा में विशेष प्रतिनिधित्व के सम्बन्ध में आदेशों के अध्याधीन होगी।

17. अन्यान्य :

17.1 आयोग द्वारा परीक्षाओं के संचालन के अवसर पर झारखण्ड परीक्षा संचालन अधिनियम, 2001 के प्रावधान प्रभावी होंगे।

17.2 आवेदन में अंकित सूचनाओं एवं प्रविष्ठियों की पूर्ण जिम्मेवारी आवेदक की होगी तथा किसी भी प्रकार की गलत जानकारी के लिए आवेदक स्वयं उत्तरदायी होंगे।

17.3 आयोग द्वारा आयोजित परीक्षा के विषय पर अभ्यर्थी/उनके माता–पिता/अभिभावक द्वाराः–

- (i) आवेदन प्रपत्र में गलत सूचना देने/गलत प्रमाण पत्र समर्पित करने/जालसाजी,
- (ii) परीक्षा के दौरान अवैध तरीका अपनाने/नकल करने/फर्जी अभ्यर्थी को अपनी जगह पर परीक्षा में बैठाने/कदाचार करने में लिप्त पाये जाने,
- (iii) प्रमाण पत्रों की प्रारम्भिक जाँच के अवसर पर आयोजित काउन्सेलिंग (Counselling) के दौरान फर्जी प्रमाण–पत्रों/फर्जी पहचान के आधार पर नियुक्ति हेतु चयन सूची में स्थान पा जाने की स्थिति में वे निम्न दण्ड के भागी होंगेः–
  - (क) अभ्यर्थी की उम्मीदवारी समाप्त कर दी जायेगी।
  - (ख) अभ्यर्थी को आयोग द्वारा आयोजित परीक्षा में भाग लेने के लिये अगले 2 वर्षों के लिये वंचित कर दिया जायेगा।

(ग) अपराधिक घटना की स्थिति में अभ्यर्थी/उनके माता–पिता/अभिभावक यथास्थिति जो भी उत्तरदायी हो, के विरूद्ध विधि के अनुरूप कार्रवाई की जायेगी।

17.4 आयोग द्वारा आयोजित परीक्षाओं में अभ्यर्थियों की आवेदन पत्र/उम्मीदवारी निम्न अवस्थाओं में रद्द किया जा सकेगा :–

(i) अभ्यर्थी की उम्र परीक्षा में भाग लेने के लिये निर्धारित उम्र सीमा में नहीं होना।

(ii) शैक्षणिक योग्यता सहित निर्धारित अर्हताओं को पूरा नहीं करना।

(iii) निर्धारित परीक्षा शुल्क जमा नहीं करना।

(iv) प्रमाण पत्रों की जाँच के अवसर पर उम्मीदवारी के समर्थन में आवश्यक अर्हताओं से सम्बन्धित यथा निर्धारित प्रमाण पत्रों की मूल प्रति निर्धारित समय सीमा के अन्दर प्रस्तुत नहीं करना।

(v) आयोग की परीक्षा में नकल करना।

(vi) आयोग की परीक्षा में अपने बदले किसी अन्य व्यक्ति को फर्जी ढंग से शामिल करना।

(vii) अभ्यर्थी द्वारा आवेदन में गलत तथ्य देकर परीक्षा में शामिल होने का अधिकार पा जाना, जो किसी भी समय प्रमाणित हो। इस विषय पर आयोग को निर्णय लेने का अधिकार सुरक्षित होगा।

(viii) आयोग की परीक्षा में शामिल होने के लिये प्रवेश पत्र जारी होना अभ्यर्थी की उम्मीदवारी को संरक्षित नहीं कर सकेगा।

(ix) अभ्यर्थी की उम्मीदवारी रद्द करने के विषय पर निर्णय लेने के पूर्व उसे अपना पक्ष रखने के लिये समुचित अवसर दिया जायेगा तथा पूरे मामले पर सम्यक रूप से विचार करने के उपरान्त आयोग विधिसम्मत निर्णय लेगा।

(x) उम्मीदवारी को रद्द करने के विषय पर निर्णय की जानकारी अभ्यर्थी को यथासमय दी जायेगी।

(xi) परीक्षाफल प्रकाशन होने के 7 दिनों के अन्दर कोई भी परीक्षार्थी विहित प्रपत्र में निर्धारित शुल्क के साथ पुर्नमूल्यांकन के लिए आवेदन दे सकेगा। इसका यथाशीघ्र निष्पादन आयोग द्वारा करते हुए परीक्षार्थी को सूचित किया जायेगा।

(xii) किसी परीक्षा केन्द्र पर अभ्यर्थियों द्वारा सामूहिक नकल/कदाचार किये जाने की शिकायत होने और जाँच में इसे प्रमाणित पाये जाने पर उक्त परीक्षा केन्द्र पर संपादित परीक्षा को रद्द करने का अधिकार आयोग के पास सुरक्षित रहेगा। परीक्षा रद्द होने की स्थिति में पुनः उसकी परीक्षा नहीं ली जायेगी।

(xiii) परीक्षा की अवधि में किसी भी अभ्यर्थी को परीक्षा केन्द्र के बाहर जाने की अनुमति नहीं होगी। परीक्षा प्रारम्भ होने के बाद किसी भी अभ्यर्थी को परीक्षा केन्द्र में प्रवेश की अनुमति नहीं होगी।

(xiv) अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि Online भरा हुआ आवेदन पत्र Submit करने के पूर्व उसे एक बार भली भांति जाँच ले ताकि कोई त्रुटि न रह जाये।

(xv) वैसे अभ्यर्थी प्रारंभिक प्रतियोगिता परीक्षा में सम्मिलित होने के हकदार नहीं होंगे जिन्हे संघ लोक सेवा आयोग/झारखण्ड लोक सेवा आयोग/झारखण्ड कर्मचारी चयन आयोग/अन्य चयन आयोग द्वारा निर्दिष्ट अवधि तक कदाचार के मामलों में परीक्षा से वंचित कर दिये जाने का आदेश पारित किया गया हो। उम्मीदवारों के परीक्षा में बैठने की पात्रता या अपात्रता के बिन्दु पर आयोग का निर्णय अंतिम होगा।

(xvi) परीक्षा केन्द्र के अन्दर मोबाइल फोन, पेजर अथवा इस प्रकार का कोई भी इलेक्ट्रोनिक उपकरण ले जाना वर्जित होगा एवं इसके उल्लंधन पर अभ्यर्थिता रद्द कर दी जायेगी। अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि परीक्षा केन्द्र के अन्दर किसी प्रकार का मुल्यवान अथवा कीमती वस्तु नहीं ले जाँय। अभ्यर्थियों को यह भी सलाह दी जाती है कि परीक्षा में उपयोग होने वाले वस्तुओं को ही ले जाँय। परीक्षा केन्द्र परिसर में शांति एवं अनुशासन बनाये रखना परीक्षार्थियों का दायित्व होगा।

(xvii) प्रवेश पत्र (Admit Card) आयोग के Website पर Upload होगा जिसे अभ्यर्थी Download कर परीक्षा में शामिल होंगे। प्रवेश पत्र (Admit Card) डाक से अलग से नहीं भेजा जायेगा। बिना प्रवेश पत्र (Admit Card) के परीक्षा में बैठने की अनुमति नही दी जायेगी। अभ्यर्थियों को अनिवार्य रूप से फोटोयुक्त प्रमाण पत्र यथा आधार कार्ड, वोटर पहचान पत्र, पैन कार्ड, ड्राईविंग लाईसेंस को साथ रखना होगा। जिसकी यथा आवयश्यक जाँच की जा सके।

आवेदन पत्र में दिये गये विवरणों से भिन्न प्रवेश पत्र (Admit Card) में किसी प्रविष्टि अथवा फोटो में त्रुटि हो तो अभ्यर्थी संबंधित परीक्षा केन्द्र पर केन्द्राधीक्षक को आवेदन देकर परीक्षा में शामिल हो सकेगें तथा आवेदन के साथ स्वःप्रमाणित आवदेन पत्र, प्रवेश पत्र (Admit Card) एवं फोटोयुक्त पहचान पत्र की प्रति देना अनिवार्य होगा। साथ ही फोटो पहचान पत्र मूल में अभ्यर्थी को परीक्षा अवधि में अपने साथ रखना होगा।

(xviii) परीक्षा में Carban less OMR Answer Sheet का उपयोग होगा तथा परीक्षा के बाद Computer के माध्यम से मूल्यांकन कार्य सम्पादित होता है। सभी अभ्यर्थी को हिदायत की जाती है कि OMR Answer Sheet पर आवश्यक प्रविष्टी (Entry) के अलावे उस पर किसी प्रकार का अन्य चिन्ह नहीं बनावे अन्यथा मूल्यांकन में त्रुटि के लिए वे स्वयं उत्तरदायी होंगे। OMR Answer Sheet पर उत्तर के लिए संबंधित गोला को इस प्रकार Black Ball Point Pen से पूरा काला (Darken) करें जिससे कि किसी अन्य गोला पर कोई निशान/चिन्ह नहीं बनने पाये अन्यथा मूल्यांकन प्रभावित होने पर अभ्यर्थी स्वयं उत्तरदायी होगें।

(xix) परीक्षा से संबंधित सभी सूचनाएँ आयोग के वेवसाईट पर दिया जायेगा।

(xx) अपरिहार्य कारणों से परीक्षा के कार्यक्रम में परिवर्त्तन का अधिकार आयोग को सुरक्षित रहेगा।

(xxi) अभ्यर्थियों की जानकारी के लिए परीक्षा का परिणाम प्रकाशित होने के बाद अभ्यर्थियों का अंक आयोग के वेवसाईट पर Upload होगा। **प्रमाण पत्रों की जाँच के अवसर पर अभ्यर्थियों को परीक्षा में प्राप्त अंको की जानकारी नहीं दी जायेगी।**

ह०/–
परीक्षा नियंत्रक।

<u>परिशिष्ट (I)</u>

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड सरकार के पत्रांक– 7/जा.नि. –19–11/2008 का.–5682 दिनांक 22 अक्टूबर, 2008 द्वारा निर्धारित प्रपत्र

झारखण्ड सरकार

प्रपत्र–I

....

(कार्यालय का नाम)
जाति प्रमाण–पत्र
(सभी कार्यों के लिये)

संख्या–.................................. तिथिः–............................

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी .... पुत्र/पुत्री/पत्नी, श्री .... निवासी, ग्राम/कस्बा/मोहल्ला .... डाकघर........................... थाना .... जिला .... राज्य.............................. अनुसूचित जाति'/अनुसूचित जनजाति' श्रेणी के अन्तर्गत.................................... जाति/उप जाति के सदस्य हैं, जो झारखण्ड राज्य के लिये अनुसूचित जाति'/अनुसूचित जनजाति' के रूप में मान्यता प्राप्त है।

2. श्री/श्रीमती/कुमारी.............................. एवं/अथवा उनका/उनकी परिवार साधारणतः गांव/कस्बा...................................., शहर.............................., जिला..........................., राज्य....................में निवास करते हैं।

स्थान :– सक्षम पदाधिकारी का हस्ताक्षर
नाम ....

दिनांक :– पदनाम ....

(कार्यालय की मुहर)

(नोटः– जो लागू नहीं हो, उसे काट दिया जाय।)

1. बिहार पुनर्गठन अधिनियम, 2000 की धारा–23 एवं 24 के अन्तर्गत 5वीं तथा 6वीं अनुसूची में अंकित क्रमशः संविधान (अनुसूचित जाति) संशोधन आदेश 1950 एवं संविधान (अनुसूचित जनजाति) संशोधन आदेश 1950
2. अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति आदेश (संशोधन) अधिनियम, 2002.

————————

परिशिष्ट (II)

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड सरकार के पत्रांक– 7/जाति–19–11/2008 का.–10007 दिनांक 29 अगस्त, 2012 द्वारा निर्धारित प्रपत्र

प्रपत्र–II

झारखण्ड सरकार के अधीन पदों पर नियुक्ति हेतु आवेदन करने के लिए अत्यन्त पिछड़ा वर्ग/पिछड़ा वर्ग द्वारा प्रस्तुत कया जाने वाला जाति प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी .... पुत्र/पुत्री .... ग्राम/शहर .... थाना .... जिला .... झारखण्ड के रहने वाले/की रहने वाली हैं, जो झारखण्ड पदों एवं सेवाओं की रिक्तियों में आरक्षण (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों एवं अन्य पिछड़े वर्गों के लिए) अधिनियम–2001'ए'' की धारा–2 के अन्तर्गत अत्यन्त पिछड़ा वर्ग (अनुसूची–1) तथा पिछड़ा वर्ग (अनुसूची–2) के अधीन अत्यन्त पिछड़ा वर्ग/पिछड़ा वर्ग के रूप में मान्यता प्राप्त .... समुदाय से आते/आती हैं।

यह भी प्रमाणित किया जाता है कि वे कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग के संकल्प संख्या–3482 दिनांक– 10.06.2002 द्वारा अंगीकृत कार्मिक तथा प्रशिक्षण विभाग, भारत सरकार के कार्यालय ज्ञापन संख्या–36012/22/93–स्था0 (एस.सी.टी.) दिनांक– 08.09.1993 की अनुसूची के स्तम्भ–3 में उल्लिखित व्यक्ति/वर्ग (क्रीमी लेयर) में शामिल नहीं हैं।

स्थान :–

दिनांक :–

सक्षम पदाधिकारी का हस्ताक्षर
नाम ....
पदनाम ....
(कार्यालय की मुहर)

(नोटः– जो लागू नहीं हो, उसे काट दिया जाय।)

1. ' झारखण्ड पदों एवं सेवाओं की रिक्तियों में आरक्षण (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़े वर्गों के लिए) अधिनियम, 2001 की अनुसूची–1 एवं अनुसूची–2 में अंकित जातियाँ/उप जातियाँ।
2. '' झारखण्ड पदों एवं सेवाओं की रिक्तियों में आरक्षण (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़े वर्गों के लिए) अधिनियम, 2001 की धारा–2 में सन्निहित अत्यन्त पिछड़ा वर्ग/पिछड़ा वर्ग की जातियों की सूची, जो संकल्प संख्या–3885, दिनांक 05.11.2001, 801 दिनांक 11.02.2003, 3436 दिनांक 28.06.2004, 6337 दिनांक 08.12.2004, 6374 दिनांक 11. 12.2004, 368 दिनांक 19.01.2006, 2759 दिनांक 01.06.2006, 3706 दिनांक 15.07.2006, 4447 दिनांक 24.08.2006, 5182 दिनांक 26.09.2006, 1604 दिनांक 28.03.2007, 243 दिनांक 11.01. 2008, 5108 दिनांक 23.09.2008, 4450 दिनांक 01.08.2001, 5826 दिनांक 19.09.2011, 697 दिनांक 26.09.2011, 6580 दिनांक 20.10.2011, 8060 दिनांक 17.12.2011 एवं 144 दिनांक 06. 01.2012, 2855 दिनांक 27.03.2012 एवं समय–समय पर यथा संशोधित।

परिशिष्ट (III)

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड सरकार के पत्रांक– 14/स्थानीयता. नीति–14–03/2016 का.–4650 दिनांक– 02.06.2016 द्वारा निर्धारित प्रपत्र

(अनुमण्डल पदाधिकारी द्वारा दिनांक– 02.06.2016 अथवा इसके बाद के तिथि में निर्गत झारखण्ड का स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र ही मान्य होगा)

झारखण्ड सरकार

....

(कार्यालय का नाम)

झारखण्ड का स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र

प्रमाण पत्र सं0 :– दिनांक :–

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/सुश्री .... पिता/पति श्री.. पता–ग्राम/वार्ड/शहर... पो0.......................................थाना.................................... जिला....................................... के स्थानीय निवासी हैं और यह प्रमाण पत्र कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड सरकार के संकल्प संख्या–3198 दिनांक– 18.04.2016 की कंडिका– .... में उल्लिखित प्रावधानों के आलोक में निर्गत किया गया है। प्रमाण पत्र धारक की ओर से झारखण्ड के अतिरिक्त किसी अन्य राज्य/केन्द्रशासित प्रदेश के स्थानीय निवासी नहीं होने का प्रतिज्ञान की प्रतिबद्धता की गई है।

स्थान : ....

दिनांक :..................................

कार्यालय का मुहर

प्रमाण पत्र निर्गत करने वाले
पदाधिकारी का नाम एवं पदनाम

परिशिष्ट (IV)

झारखण्ड राज्य अन्तर्गत काराओं में वाहन चालक की भर्ती हेतु प्रतियोगिता परीक्षा–2018

श्रुतलेखक/स्क्राइब की विवरणी

1. अभ्यर्थी का नाम :–.. 2. रौल नं॰ –..................................

3. निःशक्तता का प्रकार एवं प्रतिशतः–...........................

4. परीक्षा केन्द्र का नाम :–... 5. परीक्षा कक्ष सं॰ (इसे खाली छोड़ दें)

6. श्रुतलेखक/स्क्राइब का नामः–..

7. श्रुतलेखक/स्क्राइब के पिता/पति का नामः–..

8. श्रुतलेखक/स्क्राइब का पताः–..

9. श्रुतलेखक/स्क्राइब की जन्म तिथि–

10.श्रुतलेखक/स्क्राइब की शैक्षणिक योग्यता :–

परीक्षा या कोर्स का नाम	संकाय	वर्ष	उत्तीर्ण/अध्ययनरत	प्राप्तांक का प्रतिशत	बोर्ड/महाविद्यालय	अभ्यर्थी के साथ श्रुतलेखक/स्क्राइब का सम्बन्ध
1	2	3	4	5	6	7

मैं यह घोषणा करता/करती हूँ कि श्रुतलेखक/स्क्राइब श्री/श्रीमती/सुश्री .... के सम्बन्ध में दी गई उपर्युक्त सूचना पूर्णतः सही है।

उक्त घोषणा के गलत पाये जाने पर मेरी उम्मीदवारी/नियुक्ति रद्द कर दी जाय।

श्रुतलेखक/स्क्राइब का हस्ताक्षर   अभ्यर्थी का हस्ताक्षर

11. टिप्पणी–

वीक्षक का हस्ताक्षर